


तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मु.सं. 08/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम कौतामिल में जारी हुए
	<p>अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के पुलिस थाना क्षेत्र, सिरौही की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस-पास अपनी उपस्थित नहीं देगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तों का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, सिरौही को पालनार्थ प्रेषित की जावे।</p> <p style="text-align: center;"><i>a</i> (के.आर.खौड) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरौही</p>	